संख्या– /XXVIII(5)/2025 (E-40689)

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक मार्च, 2025

विषय– सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा से सम्बद्ध चिकित्सालय के रिस्पेरेटरी मेडिसन विभाग हेतु उपकरण क्रय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–974/चि0शि0/03(मेडिकल)/01/2018 दिनांक 05 मार्च, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा प्रदत्त संस्तुतिनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा के सम्बद्ध चिकित्सालय के रिस्पेरेटरी मेडिसन विभाग हेतु आमंत्रित ई–निविदा में स्वीकृत दरों पर अर्ह फर्म M/S Ind Bioscience SCO 325, 2nd Floor Sector 38-D Chandigarh से Body plethysmography with Lung Diffusion (DLCO)- 01 No's (Make: Ganshorn By Schiller Group Model" Powercube Body Plus) उपकरण क्रय हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद संख्या–40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र में प्राविधानित धनराशि, जो कि आपके निवर्तन पर रखी है, के सापेक्ष बजट उपलब्धता के आधार पर ₹ 1,24,79,000/– मय जी0एस0टी0 **(₹ एक करोड़ चौबीस लाख उनासी हजार मात्र)** को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

i. सम्पादित ई–निविदा की प्रक्रिया का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से प्राचार्य/वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा एवं निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा।
ii. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन–2018 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित व्यवस्था प्राविधानों एवं क्रय के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त नियमों/शासनादेशों एवं तद्विषयक अन्य प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करके ही उपरोक्त उपकरण/संयंत्र क्रय किये जायेंगे।
iii. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसमे लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
iv. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मितव्ययिता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है।
v. निदेशालय स्तर से प्राचार्य/चयनित फर्म को धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व चयनित फर्म से एम0ओ0यू0 किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 के अनुरूप उपकरण

समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

vi. व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन न हों एवं क्रय की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में न हो।

vii. विभाग मशीन/उपकरण को क्रियाशील रखने हेतु योग्य विशेषज्ञ की तैनाती निरन्तर सुनिश्चित करेगा, ताकि अक्रियाशील के कारण अनुरक्षण कराने की पुनरावृत्ति न हो।

viii. प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, अल्मोड़ा मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त कर उसके रख–रखाव व संचालन करने तथा निर्धारित बजट से उसका भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगें।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–पश्चात्य चिकित्सा पद्धति–04–मेडिकल कॉलेज–09–अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानक मद–42–अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–201358/09(150)/2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 19-03-2025 17:47:31

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार),

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

i. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून
ii. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
iii. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अल्मोड़ा।
iv. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
v. गार्ड फाईल।